


30/01/20

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त व उनके
वकील को बार बार काकाज लगवाए
गए किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी
स्थिति में अपील अपीलान्त 0-9-R.03 C.P.
के तहत कदम हाजिरी व कदम पेशी में
वारिज की जाती है। पत्रावली फंसेल शुम
होकर बाद तकमील दानद. हो।


जिला कमिश्नर
धनपुर (राज०)

